कृपया प्रकाशनार्थ **8 अक्टूबर 2012**

भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री.राम नाईक द्वारा मुंबई में 8 अक्टूबर,2012 को आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रसारित वक्तव्य.

कृषि मंत्री श्री.शरद पवार का मछुआरों को ठेंगा : राम नाईक

मुंबई, सोमवार :''मछुआरों को डिजल पर मिलने वाली रियायत बढा कर प्रति लिटर रु.4 करना, मछुआरों को 4 प्रतिशत व्याज से कर्जा देना तथा 12 नॉटीकल मीलों के बाहरी सागरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए नीति बनाना इन तीनों माँगों को पुरा करने का आश्वासन कृषि मंत्री श्री.शरद पवार ने 26 अप्रैल 2012 को मछुआरों के प्रतिनिधी मंडल को दिया था. मगर वास्तव में अभी तक कोई ठोस निर्णय न लेकर कृषि मंत्री श्री.शरद पवार ने मछुआरों को ठेंगा दिखाया है. इसलिए अब मछुआरे आंदोलन करेंगे'', ऐसी चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री.राम नाईक ने आज पत्रकार सम्मेलन में दी. इस सम्मेलन में उनके साथ भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश मछुआरा प्रकोष्ठ के संयोजक श्री.राजेंद्र मेहेर तथा मुंबई के संयोजक श्री.सागर किल्लेकर भी उपस्थित थे.

मछुआरों की समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री.राम नाईक ने कहा,''डिजल के दामों में हो रही बढोतरी देख कर उस पर मछुआरों को मिलने वाली रियायत बढा कर प्रति लिटर रु.4 करनी चाहिए, साथ ही साथ यह रियायत केवल गरीबी रेखा के नीचे के तबके के मछुआरो को देने की शर्त निकाल देनी चाहिए क्यों कि गरीबी रेखा के नीचे के मछुआरे के पास अपनी खुद की डिजल पर चलने वाली बोट होना ही संभव नही है, ऐसा प्रतिनिधी मंडल ने चर्चा के दौरान कृषि मंत्री को कहा था. 26 अप्रैल 2012 को हुइ इस चर्चा में कृषि मंत्री को कहा था कि 2012-13 के बजट में किसानों को दिए जानेवाले कर्ज 7 प्रतिशत से और समय पर किस्तें दिएं तो 4 प्रतिशत व्याज से देने का निर्णय हुआ है. चुंकि मछुआरी को मत्स्य खेती माना जाता है यह सुविधा मछुआरों को भी दी जाए ऐसी माँग मछुआरों ने की थी. साथ ही साथ 12 नॉटीकल मील के बाहरी सागरी क्षेत्र में जिसे विशेष वित्तिय क्षेत्र - एक्स्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन (इझेड) कहा जाता है, कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएँ आए दिन निर्माण होती रहती है, इस का हल निकालने के लिए कानून बनाने की माँग भी चर्चा के दौरान की गयी थी. कानून बनाने की प्रक्रिया शुरु हैं, ऐसी जानकारी कृषि मंत्रालय ने 17 मार्च 2009 को दी थी, मगर 2012 तक भी कानून नही बना है, इस परिस्थिती की ओर भी कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया था''.

‘‘इन तीनों विषयों में सकारात्मक निर्णय लेने का आश्‍वासन कृषि मंत्री श्री. शरद पवार ने 26 अप्रैल 2012 को दिया था. किंतु अब तक कोई कार्यवाही न होने के कारण उन्हें स्मरणपत्र भेजा गया. इस स्मरणपत्र को 21 सितंबर 2012 को कृषि मंत्री ने लिखा उत्तर हालही में प्राप्त हुआ है जो काफी निराशाजनक है. मछुआरों को डिजल पर रियायत देने की नीति में कोई बदलाव नही होगा यह बात इस पत्र से साफ जाहीर हुओ हैं. साथ ही साथ विशेष वित्तिय क्षेत्र के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया अब भी जारी है ऐसा पत्र में लिखा गया हैं. मछुआरों को 4 प्रति शत व्याज दर से कर्जा देने के सुझाव को 12 वी पंचवार्षिक योजना में सुधार कराके शामिल करने का विचार शुरु है ऐसा भी कृषि मंत्री ने पत्र में लिखा है; इसका असल में मतलब अबतक कुछ भी निर्णय नही हुआ ऐसा ही होता हैं. 2007 से बार - बार विचार - विमर्श के बाद भी कृषि मंत्री ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया हैं. वे मछुआरों को मात्र ठेंगा दिखा रहे हैं. सरकार की इस संवेदनशून्य और मछुआरा - विरोधी रवैये के विरोध में भारतीय जनता पार्टी मछुआरों में जागृती कर आंदोलन करेगी,’’ ऐसा भी श्री. राम नाईक ने अन्त में कहा.

(कार्यालय मंत्री)

साथमें : कृषि मंत्री श्री. शरद पवार का 21 सितंबर 2012 का पत्र.

शरद पवार
SHARAD PAWAR

सत्यमेव जयते

D.O. No. 2573 /AM
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF AGRICULTURE &
FOOD PROCESSING INDUSTRIES
GOVERNMENT OF INDIA

No.30035-23/2004-Fy(T-1)
21st **September, 2012**

Dear Shri Ram Naik

Kindly refer to your letter No.104 dated 01.07.2012 regarding fisheries related issues of coastal fishermen of Maharashtra.

I have got the issues contained in your letter examined. Regarding the issue of regulating fishing in EEZ, the Ministry of Agriculture is in the process of finalizing a draft Bill for the purpose. As regards the diesel subsidy, during 11th Plan the subsidy was enhanced to ₹3 per litre being provided only to the fishers of BPL category. Regarding the issue of interest subvention on the loan taken by fishermen, the matter would be proposed for incorporation in the revised schemes for 12th plan.

With regards,

Yours sincerely,

(Sharad Pawar)

Shri Ram Naik,
9, Shivsmriti,
51, Jayaprakash Nagar,
Goregaon East,
Mumbai-400063.

श्री. राम नाईक
का जनसंपर्क कार्यालय-मुंबई
27 SEP 2012
Office of
Shri Ram Naik - Mumbai

Office : Room No. 120, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 Tel.: 23383370, 23782691 Fax : 23384129
Resi. : 6, Janpath, New Delhi-110 011 (India) Tel. : 011-23018870, 23018619 Fax : 011-23018609
E-mail : sharadpawar.sp@gmail.com